बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
(सूचना का अधिकार)
पत्र सं.- 31/सू.अ.-(द्वि.अ.विविध)/2025

प्रेषक,

श्री बलिराम प्रसाद,
उप सचिव-सह-लोक सूचना पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता-सह-
प्रथम अपीलीय प्राधिकार,
जल संसाधन विभाग, बिहार।

/ पटना, दिनांक-

विषय :- **माननीय राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना में दायर वाद संख्या- A 7980/2017 में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।**

प्रसंग :- **सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक- 2946 दिनांक- 11.02.2026.**

महाशय

निदेशानुसार माननीय राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना के वाद संख्या- A7980/2017 में पारित आदेश की छाया प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी लोक सूचना पदाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए उनका अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय। सुलभ प्रसंग हेतु प्रासंगिक आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर भी प्रचारित की जा रही है।

अनु.-यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/-
(बलिराम प्रसाद)
उप सचिव-सह-लोक सूचना पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक- 287 (अ50) / पटना, दिनांक- 27-02-2026

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, WRD सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, पटना को पत्र की प्रति संलग्न करते हुए RTI Menu अन्तर्गत विभागीय वेबसाईट पर प्रचारित करने हेतु प्रेषित।

अनु.-यथोक्त।

27/2/26
(बलिराम प्रसाद)
उप सचिव-सह-लोक सूचना पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, पटना।

Received through Mail Dt 19.02.26

प्रधान सचिव का कोषांग
E-Mail
19 FEB 2026
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक–21 / रा0सू0आ0–06 / 2025, सा.प्र. 2946 /

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

मनोज कुमार झा,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग / ~~सभी~~ विभागाध्यक्ष /
सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी /
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, बिहार।

पटना–15, दिनांक 11. 2.26

विषयः– **बिहार सूचना आयोग में दायर वाद संख्या– A7980 / 2017 श्री शैलेंद्र सिंह तरकर बनाम प्रथम अपीलीय प्राधिकार / लोक सूचना पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना में दिनांक–16.01.2026 को सुनवाई के क्रम में निर्गत आदेश का अनुपालन के संबंध में।**

प्रसंग– बिहार सूचना ओाग, पटना का आदेश ज्ञापांक–6824, दिनांक–28.01.2026 एवं पत्रांक–1302, दिनांक–25.09.2008

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक बिहार सूचना आयोग के आदेश की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उक्त आदेश में विहित निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सूचनावेदक को सूचना उपलब्ध कराने हेतु अपने अधीनस्थ लोक सूचना प्राधिकारों को निदेशित करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त

विश्वासभाजन,

10.02.26
(मनोज कुमार झा)
सरकार के अवर सचिव।

148
24-02-26

प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना
क्रमांक 1346
दिनांक 19/02/26

84
25/02/26

d:\section 21\letter.docx

सामान्य प्रशासन विभाग
प्राप्ति
1320(1)3/150
30 JAN 2026

राज्य सूचना आयोग
चौथा तल्ला, सूचना भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग(बेली रोड), बिहार, पटना–800015
दूरभाष–2215059, फैक्स–2235466 / वेबसाइट–www.sic.bih.nic.in

वाद सं०– **A 7980/2017**
श्री शैलेन्द्र सिंह तरकर
बनाम्
प्रथम अपीलीय प्राधिकार, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / लोक सूचना पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

अपर मुख्य सचिव
16.01.2026
31 JAN 2026
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना

अपीलार्थी:– उपस्थित।

लोक सूचना पदाधिकारी:– अनुपस्थित।

02.06.2016:– प्रपत्र–क दायर किया गया।

05.07.2016:– प्रथम अपील दायर किया गया।

पिछली सुनवाई दिनांक 19.09.2025 को पारित आदेश में अपीलार्थी को दी गई सूचना पर आपत्ति की मांग की गई थी। अपीलार्थी का अभिकथन है कि आयोग द्वारा 05.02.2025 को पारित किये गये आदेश का लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है और प्रपत्र–क में मांगी गई सूचना स्पष्ट है।

दिनांक 24.06.2025 को पारित आदेश में सी0बी0आई0 की चार्जशीट की पूरी प्रति जो लगभग 300 पृष्ठों की है आयोग से लोक सूचना को उपलब्ध करायी गई इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1041(9) दिनांक 15.09.2025 द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करायी गई जिनमें यह अंकित किया गया कि उपलब्ध करायी गई सी0बी0आई0 चार्जशीट में लगभग अधिकांश मामले क्षेत्रीय कार्यालय से संबंधित है चूँकि 04 डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की सूचना दी गई है तथा यह भी लिखा गया कि एम0एस0डी0 के दवा घोटाले के आरोपी चिकित्सा पदाधिकारियों के विरुद्ध दायर चार्जसीट के लिए आरोपित चिकित्सा पदाधिकारियों के विरुद्ध संचालित की गई विभागीय कार्यवाही से संबंधित संचिका लगभग 30 वर्ष पुराना है। किन–किन चिकित्सा पदाधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित थी यह स्पष्ट नहीं होने के कारण संचिका खोजकर सूचना संकलित करने में कठिनाई हो रही है। इसके उपरान्त पत्रांक 269 (4बी) दिनांक 18.09.2025 द्वारा भी सिविल सर्जन कार्यालय / अपर मुख्य चिकित्सा कार्यालय / सदर अस्पताल / कुष्ठ नियंत्रण ईकाई, गोपालगंज के कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई की सूचना भी अपीलार्थी को उपलब्ध करायी गई है।

अपीलार्थी सचिव, बिहार राज्य सूचना आयोग, पटना का पत्रांक 1302 दिनांक 25.09.2008 आयोग को प्रस्तुत करते हैं जिसमें सभी प्रधान सचिव / सचिव / प्रमण्डलीय आयुक्त / जिला पदाधिकारी को पत्र भेजा गया था कि लोक सूचना पदाधिकारियों द्वारा वांछित सूचना से संबंधित संचिका / अभिलेख / दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की बात कहकर

35

सूचना देने से इंकार किया जा रहा है। ऐसे में सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना से यह अपेक्षा है कि संचिका नहीं उपलब्ध कराने के लिए जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाय। मुख्य सँचिव, बिहार एवं अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना को इस आदेश की प्रति एवं पत्रांक 1302 दिनांक 25.09.2008 की प्रति भेजते हुए उनसे अपेक्षा की जाती है कि उक्त पत्र के माध्यम से दर्शाये गये बिन्दु को सख्ती से लागू करने के लिए कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। सचिव, बिहार सूचना आयोग, पटना को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने स्तर से पत्र भेजें। इसी के साथ अपील वाद समाप्त किया जाता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को सशक्त करने के लिए उसके दिशानिर्देश जारी है जो सूचना माँगी जा रही है उसे ससमय उपलब्ध करायें तथा इसके उद्देश्य की पूर्ति में लोक सूचना पदाधिकारी पूर्ण सहयोग करें।"

ह०/–
(प्रकाश कुमार)
राज्य सूचना आयुक्त

ज्ञापांक सी0–4/ 6824 /रा०सू०आ०पटना, दिनांक– 28/01/2026

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार, पटना (पत्रांक 1302 दिनांक 25.09.2008 की छायाप्रति संलग्न)/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना (पत्रांक 1302 दिनांक 25.09.2008 की छायाप्रति संलग्न)/सचिव, बिहार सूचना आयोग, पटना/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/डॉ0 संस्कृति बरियार, लोक सूचना पदाधिकारी–सह–अपर निदेशक, स्वास्थ्य विभाग, पटना/डॉ0 श्यामा राय, अपर निदेशक–सह–लोक सूचना पदाधिकारी, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/श्री शैलेन्द्र सिंह तरकर, ग्राम+पो0–सन्हौली, जिला–खगड़िया–851205, मो0–9430042819 को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(नोटः– पक्षकार सुनवाई में वर्चुअल मोड से अथवा स्वयं उपस्थित होकर भाग ले सकते है। दोनों में से किसी एक विकल्प का चयन कर सकते हैं। वर्चुअल मोड से सुनवाई में भाग लेने के लिए लिंक निम्न हैः–sic.bihar.gov.in)

अनु0ः–यथोक्त।

(राजन सहनी)
प्रशाखा पदाधिकारी

नोट–"इस वाद से संबंधित सभी प्रकार के पत्राचार/मंतव्य वाद संख्या सहित आयोग के इस हेतु आधिकारिक ई–मेल reply.bic@bihar.gov.in पर ही स्वीकार्य किये जायेगें")

बिहार राज्य सूचना आयोग

चौथा तल्ला (सूचना भवन) बेली रोड, पटना।

पत्रांक-1/वि0-185/07/1362/रा0सू0आ0. पटना, दिनांक 25 सितम्बर, 2008

सभी प्रधान सचिव,
सभी सचिव
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

विषय:- लोक सूचना पदाधिकारियों द्वारा संचिका/अभिलेख/दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की बात कहकर सूचना देने से इंकार करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि सूचना आयोग को विभिन्न विभागों एवं इसके अधीनस्थ लोक प्राधिकारों से वादों के सुनवाई के दौरान यह अनुभव किया जा रहा है कि लोक सूचना पदाधिकारियों द्वारा वांछित सूचना से संबंधित संचिका/अभिलेख/दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की बात कहकर सूचना देने से इनकार किया जा रहा है। फलस्वरूप आमलोगों को सूचना प्राप्त नहीं हो पाती है तथा सूचना के अधिकार अधिनियन के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-4 के तहत प्रत्येक लोक प्राधिकारी की जिम्मेदारी है कि अपने सभी अभिलेखों/दस्तावेजों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित करें। लोक सूचना पदाधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनके पास उनके विभाग से संबंधित सभी सूचना का मूल स्त्रोत होगा तथा वे संबंधित प्राधिकार की ओर से सूचना देने के लिए प्राधिकृत एवं सक्षम होंगें। प्रत्येक लोक प्राधिकार की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने लोक सूचना पदाधिकारी की पहुँच सभी कागजात/संचिका/अभिलेखों तक बनायें।

3. अभिलेख को अनुपलब्ध बताकर सूचना देने से इंकार किये जाने पर यह आशंका भी होती है कि क्या सूचना नहीं दिये जाने के इरादा से विभाग के अभिलेख को गायब तो नहीं किया जाता है।

4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में आयोग सभी विभागों एवं इसके अधीनस्थ लोक प्राधिकारों को निर्देश देता है कि मांगी गयी सूचना से संबंधित संचिका/अभिलेख/दस्तावेज की अनुपलब्धता की स्थिति में सचिवालय के मामलों में विभागीय सचिव अथवा विभागाध्यक्ष तथा अधीनस्थ कार्यालयों की स्थिति में कार्यालय प्रधान इस आशय का प्रमाण पत्र देगें कि वांछित संचिका/अभिलेख/दस्तावेज कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तथा उसे उपलब्ध कराने के लिए कानूनी कार्रवाई सहित अन्य कार्रवाई की गयी है तथा संबंधित कर्मी पर जवाबदेही का निर्धारण किया गया है/अथवा किया जायेगा।

5. कृपया, अपने अधीनस्थ सभी लोक प्राधिकार को इस आशय का निर्देश देने का कष्ट किया जाय।

विश्वासभाजन,

25/9/08

(एस0 के0 मिश्र)
सचिव